

## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क्र० महाराज गंज नौतन्वा 201870030098020 571203011521

> प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी ग्राम तहसील जिला

अनुराग सिंह सतीश चन्द सिंह श्रीमती सुमन सिंह 40,सरोजनी नगर वार्ड नं० 15 नौतनवां

नौतन्वा महाराज गंज



जारी दिनांक: 21/11/2020

उत्तर प्रदेश राज्य की कु<u>र्मी-सैथवार</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुराग सिंह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारां संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माना-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |



ASHOK Digitally Signed by ASHOK KUMAR GUPTA O=Personal, KUMAR GUPTA KUMAR GUPTA KUMAR GUPTA S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित नौतन्वा,महाराज गंज दिनॉक: 21/11/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एक्म् आवेदक द्वारा स्वयं की लॉग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमा<mark>ण पत्र</mark> वेवसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इस<mark>का पह</mark>ले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।